HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 655/2026

In

S.B. Criminal Appeal No. 730/2026

Kailash Chand Saini S/o Late Shri Lalluram Saini, Aged About 46 Years, Resident Of In Front Of Gram Panchayat Bhawan, Jamwaramgarh, District Jaipur, Rajasthan, At The Relevant Time Posted As Revenue Patwari, Patwar Halka Phulera, Holding Additional Charge Of Kachroda, Tehsil Phulera, District Jaipur, Rajasthan, Presently Residing At Jamwaramgarh, Tehsil Jamwaramgarh, District Jaipur (Rajasthan). (At Present Confined In Central Jail Jaipur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through The Public Prosecutor

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Abhishek Pareek
For Respondent(s)	:	Mr. Devi Singh, P.P. with Mr. Navdeep Singh

---

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

20/04/2026

अपीलार्थी/अभियुक्त **कैलाशचंद सैनी** की ओर से धारा 430 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत, विचारण न्यायालय–विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण प्रकरण क्रम–01, जयपुर महानगर द्वितीय द्वारा फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या–20/2019, सी0आई0एस0 सैशन प्रकरण संख्या–**452/2019 राजस्थान राज्य** बनाम **कैलाश चंद सैनी** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **28.03.2026** के विरूद्ध यह सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर

अर्थदण्ड सहित अधिकतम चार वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका यह भी निवेदन है कि दौराने विचारण अपीलार्थी/अभियुक्त दिनांक 17.06.2016 से दिनांक 08.07.2016 तक अभिरक्षा में रहा है, तत्पश्चात् वह जमानत पर आजाद रहा है, उसके पश्चात् वह निर्णय की दिनांक 28.03.2026 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है। उनका यह भी तर्क है कि गवाहान के बयानों में विरोधाभास है, विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य का समग्रता से एवं सही रूप से विवेचन–विश्लेषण नहीं किया है, उनका यह भी तर्क रहा है कि अपील में अपीलार्थी के दोषमुक्त होने के सुदृढ़ आधार विद्यमान हैं, अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना है, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

हमने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों–परिस्थितियों, अपीलार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्ता इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/– रूपए (**अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए (**अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो

सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **20.05.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **कैलाशचंद सैनी पुत्र स्व0 श्री लल्लूराम सैनी** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MANOJ ADWANI /63